हरिगोपाल बनाम कुंआरी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2022/3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/3/22	पत्रावली पेश हुई ... वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी ... /आपत्ती/पक्षकार उपस्थित ... है। पीठासीन अधिकारी ... है/अवकाश पर है/अन्य कार्य में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/22 को पेश हो। रीडर	
14/3/22	वकील उभयपक्ष उप० हैं। दावा वादी अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

नम्बर व ...
अहकाम ...
हुक्म की ...
में जारी

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/2022	3.1.2022	14.3.2022

हरिगोपाल पुत्र चिरंजीलाल, ब्राह्मण निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी —–वादी

बनाम

1 कैलाश चन्द पुत्र कल्याण, ब्राह्मण, निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी

2 घासीलाल पुत्र पन्नालाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

3 ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल, ब्राह्मण निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी

4 रमेश पुत्र चिरंजी लाल, ब्राह्मण निवासी कचहरी रोड सब्जी मण्डी के सामने, गंगापुर सिटी

5 राधादेवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजीलाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती, मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

6 लखनसिंह पुत्र चिरंजी लाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता राधादेवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजीलाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती, मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

7 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी , भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री हुकमसिंह गुर्जर एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री वृद्धिचंद शर्मा एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 4 की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 की ओर से

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 811 रकवा 0.02 हेक्टर गैरमुमकिन चाह, खसरा नम्बर 816 रकवा 0.05 हेक्टर, गैरमुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 818 रकवा 0.45 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टर भूमि ग्राम मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। मुताविक

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी (स.मा.)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Scanned with CamScanner

हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने आपसी सहमति से मौके पर भूमि विभाजन रखा है। लेकिन डौल मैड पर हमेशा वादी का प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है। वादी ने वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के विभाजन के लिये कई दफा प्रतिवादीगण से कहा, जिस पर पहले प्रतिवादीगण सहमत हो गये लेकिन तहसील कार्यालय में बँटवारा करवाने के लिये टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 31.12.2021 को वादी ने पुनः प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 से कहा तो उन्होने तहसील कार्यालय में आकर बँटवारा करने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण मौके पर जे0सी0बी0 से जबरन खुदाई कर वादी के हिस्से मे पक्का निर्माण कर रास्ता निकालने पर आमदा हो रहे है तथा कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तन कर भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दे रही है। अतः भूमि खसरा नम्बर 811 रकवा 0.02 हेक्टर गैरमुमकिन चाह, खसरा नम्बर 816 रकवा 0.05 हेक्टर, गैरमुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 818 रकवा 0.45 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टर ग्राम मिर्जापुर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से विभाजन किया जाकर पक्षकारो के नाम से अलग से खातेदारी दर्ज की जावे इसी कदर सीट मे तरमीम की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नही करे, ना ही वादी को बेदखल करने की व रहन वय करने की धमकी देवे। प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी तहसील गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जावे कि वे मुताविक निर्णय हाल राजस्व रिकॉर्ड अमल करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 811, 816, 818 कुल रकवा 0.52 हेक्टर ग्राम मिर्जापुर गंगापुर सिटी में स्थित है जिसमे पक्षकारान का रिकॉर्ड मे संयुक्त हिस्सा दर्ज है। तथा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 गलत दर्ज किया है। विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कल्याण पुत्र लल्लू का हिस्सा 1/3 दर्ज है, कल्याण की मृत्यु हो चुकी है। जिसका जबाबदार एक मात्र वारिस है। इसलिये भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जो रेवन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा सही दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा होना स्वीकार है। पक्षकारान ने विवादित भूमि का काफी लम्बे समय से मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है। मौखिक विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज है तथा अन्य कोई विवाद नही है। दिनांक 31.12.2021 को वादी व

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य रिकॉर्ड में बँटवारे के सम्बन्ध मे कभी कोई वार्तालाप नही हुआ। बल्कि वादी जानबूझकर उक्त भूमि को विवादित भूमि बनाने की नियम से यह दावा लेकर आया है। जवाबदार मौके पर अपने कब्जे की उक्त भूमि व अन्य खसरा नम्बर स्वयं की खातेदारी मे आवागमन हेतु उबड खाबड भूमि होने के कारण जबावदार ने खसरा नम्बर 817 मे रास्ते की भूमि को सही कर रहे थे, जिसे लेकर वादी ने अनावश्यक रूप से विवाद किया तथा खसरा नम्बर 817 से कोई ताल्लुक वास्त नही होने के बावजूद वादी ने खसरा नम्बर 818 का सहारा लेकर न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर जवाबरान को अपने खसरा नम्बर 817 मे उसके द्वारा किये जा रहे रास्ते के समतलीकरण को रूकवा लिया। दावा गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा चाही गई रिलीफ बाबत खसरा नम्बर 811, 816 व 818 कुल किता 3 कुल रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वाके ग्राम मिर्जापुर गंगापुर सिटी रेवन्यु रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके व कब्जे के आधार पर विभाजन किया जाकर जबावदार का खाता हिस्सा 1/3 का पृथक किये जाने मे मिन जबावदार को कोई आपत्ति नही है। अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध मे रेवन्यु रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे के अनुसार किये जाने में जबावदार को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि जबाबदार के विरूद्ध दावा पोषणीय नही है। ख0न0 811, 816, 818 पर संयुक्त खातेदारी है एवं इस पर संयुक्त ही काश्त होती है। इस भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन नही किया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5,6 इस दावे के माध्यम से कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने पर आमादा है। भूमि पर जबरन निर्माण करने पर आंमादा है। अतः जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4 के जबाबदावे के अनुसार ही फरमाने की कृपा करें।

प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए परन्तु इन्होने कोई जबाबदावा प्रस्तुत नही किया तथा उभयपक्ष के वकीलों द्वारा भूमि का विभाजन हिस्से अनुसार करने का निवेदन किया है।

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 82 ग्राम मिर्जापुर, नकल जमाबंदी संवत 2049–52 ग्राम मिर्जापुर और नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है। इसके अलावा चिरंजीलाल शर्मा के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रतिवादीगण की ओर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned with CamScanner

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान वकील ने वादग्रस्त भूमि के अभिलेख मे दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन कर अलग अलग खाते दर्ज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार वादग्रस्त भूमि कल्याण पुत्र लल्लू ब्राह्मण हिस्सा 1/3, रामहेत लाल पुत्र देवचंद ब्राह्मण हिस्सा 1/3, घासी लाल पुत्र पन्नीलाल लोधा हिस्सा 1/6, राधादेवी पत्नी स्व0 चिरंजीलाल लोधा हिस्सा 1/12 व नाबालिग लखनसिंह पुत्र चिरंजीलाल लोधा हिस्सा 1/12 की खातेदारी मे दर्ज है। वादी हरिगोपाल पुत्र चिरंजीलाल ने वादग्रस्त भूमि के बाबत रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा दर्ज होना बताया है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स से भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है। वादी का वादग्रस्त भूमि मे वर्तमान राजस्व अभिलेख मे कोई हिस्सा दर्ज नही है ना ही वादी के स्व0 पिता चिरंजीलाल का वादग्रस्त भूमि मे वर्तमान जमाबंदी मे कोई नाम दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र मे यह भी स्पष्ट नही किया है कि वह किस प्रकार से वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा रखता है। जब वादी की वादग्रस्त भूमि मे खातेदारी ही दर्ज नही है तो वह विभाजन किस प्रकार करवा सकता है। फलस्वरूप वादी का वादपत्र अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वादपत्र अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। दिनांक 3.1.2022 को इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2022 को सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Judi/Civil

Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर०ए०एस०

उनवान

हरिगोपाल पुत्र चिरंजीलाल, ब्राह्मण निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1 कैलाश चन्द पुत्र कल्याण, ब्राह्मण, निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी

2 घासीलाल पुत्र पन्नालाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

3 ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल, ब्राह्मण निवासी हटीला स्कूल के पास, मिर्जापुर गंगापुर सिटी

4 रमेश पुत्र चिरंजी लाल, ब्राह्मण निवासी कचहरी रोड सब्जी मण्डी के सामने, गंगापुर सिटी

5 राधादेवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजीलाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती, मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

6 लखनसिंह पुत्र चिरंजी लाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता राधादेवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजीलाल, लोधा निवासी लोधा बस्ती, मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

7 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी , भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 2/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश कुमार शर्मा, श्री विकास कुलश्रेष्ठ एडवोकेट, श्री वृद्धिचंद शर्मा एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वादी का वादपत्र अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। दिनांक 3.1.2022 को इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.3.2022 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned with CamScanner